रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4973] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940
No. 4973] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6203(अ).—केंद्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1636(अ), तारीख 19 मई, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 7 के खंड (ख) और खंड (ग) तथा अध्याय 3 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का पालन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव द्वारा, नीचे के स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के प्रवर्गों के संबंध में भी किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिकथित नीतियों और अनुदेशों का पालन करेगा और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना कोई नई नीति निरूपित या अनुदेश जारी नहीं करेगा ; और

(ख) केंद्रीय सरकार, यदि लोकहित में उसकी यह राय है कि ऐसी कार्रवाई करना आवश्यक है, तो शक्तियों और कृत्यों के ऐसे प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगी या स्वयं उक्त धाराओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन कर सकेगी ।

अनुसूची

क्र.सं.	आयुध और गोला बारूद का प्रवर्ग	सम्मिलित की गई रक्षा मदें
(1)	(2)	(3)
(i)	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन	(क) बैटल टैंक, बख्तरबंद कार्मिक वाहन (एपीसी) और इनफैंट्री काम्बेट यान (आईसीवी) (ख) सैन्य यान, जो सुरंग बिछाने या युद्ध सामग्री को प्रक्षेपित करने हेतु हथियारों से युक्त हैं ।

		(ग) अन्य जमीन पर चलने वाले यान, जो सुरंग बिछाने, विशेष रूप से सैन्य इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हों तथा हथियारों और उपकरणों हेतु आधार प्रदान करने सहित स्तर 3 (एनआईजे 0108.01, सितम्बर, 1985 या राष्ट्रीय मानक या उसके ऊपर) तक के बैलिस्टिक संरक्षण मुहैया कराने हेतु विनिर्मित किए गए हों या युद्ध सामग्रियों या अवयवों के साथ फिट हैं। **टिप्पण 1**- क्र.सं. (ख) में ऐसे यान सम्मिलित हैं, जो सुरंग बिछाने या बम, टारपेडोस, राकेट, मिसाइल, अन्य विस्फोटक बारूद से युक्त हैं। **टिप्पण 2**- क्र.सं. (ग) के लिए 4500 किग्रा. से अधिक सकल भार वाले वाहन, जो आगे और पीछे, दोनों पहियों पर साथ-साथ चलने के लिए संचरण।
(ii)	आयुध नियम, 2016 के नियम 2 के उपनियम (।) के खंड (51) के अधीन यथा-परिभाषित 12.7 मिमी. और उसके ऊपर के लघु शस्त्र से भिन्न शस्त्र और गोला बारूद और रक्षा उपकरणों की संबद्ध मदें।	(i) मल्टी बैरल राकेट, मशीन गन, गन, राकेट, जमीन, पोतों और समुद्र तट आधारों पर प्रयोग की जाने वाली केनन और मिसाइल और एयरबोर्न ऐप्लीकेशन। (ii) होवित्जर्स, मोर्टार्स, टैंकरोधी हथियार, प्रोजेक्टाइल लांचर्स, मिलिटरी फ्लेम थ्रोवर्स, राइफलें, रीक्वायल रहित राइफलें। (iii) गोला बारूद और फ्यूज सेटिंग युक्तियां निम्नलिखित हैं :-- क. सेफिंग और आर्मिंग युक्ति, फ्यूज, सेंसर्स और इनिसिएशन युक्तियां ; ख. बाम्बलेट्स, माइनलेट्स और टर्मिनली मार्गदर्शित प्रोजेक्टाइल्स। (iv) बम, टारपीडो, ग्रेनेड, स्मोक कनिस्टर्स, राकेट, माइन्स, मिसाइलें, डेप्थ चार्जेस, डीमोलिशन-चार्जेस, डीमोलिशन-युक्तियां, डीमोलिशन किट्स, एयरक्राफ्ट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, पाइरोटेक्निक युक्तियां, कारतूस और सिमुलेटर्स (अर्थात् ऐसा उपकरण जो इनमें से किसी भी मद के गुणों का छद्म रूप हो, जो विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है)। (v) इनर्जेटिक सामग्री और संबद्ध पदार्थ, जिसमें सभी विस्फोटक सदृश प्राइमर्स, बूस्टर्स, इनीशिएटर्स, इग्नाइटर्स, डेटोनेटर्स, स्मोक बम, रंग संकेतक, प्रोपेलैंट्स और पाइरोटेक्निक्स, आक्सीडाइजर्स, बाइंडर्स, प्लास्टिसाइजर्स, मोनोमर्स, एडिटिव कप्लिंग अभिकर्मक, प्रीकर्सर्स और अन्य संबद्ध युद्ध उपकरण। (vi) उच्च गति की गतिक ऊर्जा हथियार प्रणालियां। (vii) निम्नानुसार निदेशित ऊर्जा हथियार प्रणालियां, संबद्ध अथवा प्रत्युपाय उपकरण और टेस्ट माडल :-- क. लेजर प्रणालियां, जो विशेष रूप से विनाश अथवा इफेक्टिंग मिशन, किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई हों, जिसके अंतर्गत लेजर विशिष्ट कारकों के साथ लेजर प्रणाली और उसकी व्युत्पत्ति भी है ; ख. पार्टिकिल बीम प्रणालियां (जिसके अंतर्गत 1150 एनएम से कम तरंग दैर्ध्य सम्मिलित नहीं है) जो विनाश अथवा इफेक्टिंग मिशन-किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने में सक्षम हों ;

		ग. उच्च शक्ति की रेडियो आवृत्ति वाली प्रणालियां, जो विनाश अथवा इफेक्टिंग मिशन-किसी लक्ष्य को एबोर्ट करने में सक्षम हों ; घ. ऐसे उपकरण, जो विशेष रूप से ऊपर (क) और (ख) पर उल्लिखित प्रणाली के विरुद्ध रक्षा की पड़ताल अथवा पहचान के लिए डिजाइन किए गए हों । **टिप्पण 1-** क्र.सं. (i) और (ii) ऐसे पशुओं के वध, सीस्मिक टेस्टिंग, 500 मी से कम रेंज के प्रोजेक्टाइल लांचरों को लागू नहीं होगी । **टिप्पण 2.** क्र.सं. (iii) प्रोजेक्टाइल के बिना क्रिमप्ड गोला बारूद, दिखावटी गोला बारूद (पाइर्स्ड पाउडर चेम्बर सहित) और सिगनलिंग, पक्षियों को डराने हेतु डिजाइन किए गए कारतूस को लागू नहीं होगी ।

[फा. सं. वी-11026/184/2018-आर्म्स]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

S.O. 6203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1636(E) dated the 19th May, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the powers and functions exercisable and performed by it under sub-section (1) of section (5), clauses (b) and (c) of section 7 and Chapter III of the Arms Act, 1959, shall also be exercised and performed by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, in respect of the category of arms and ammunition as specified under columns (2) and (3) of the Schedule mentioned below, subject to the following conditions, namely:-

(a) that the Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion shall observe the policies and instructions laid down by the Central Government in the Ministry of Home Affairs and shall not enunciate any new policy or issue instructions in relation thereto without the prior consent of the Central Government in the Ministry of Home Affairs; and

(b) that the Central Government may revoke such delegation of powers and functions or may itself exercise or perform the powers or functions under the said sections, if in its opinion such a course of action in necessary is the public interest.

SCHEDULE

S. No	Category of arms and ammunition	Defence items included
(1)	(2)	(3)
(i)	Tanks and other armoured fighting vehicles.	(a) Battle tanks, Armoured personnel Carriers (APC) and Infantry Combat Vehicles (ICV) (b) Military vehicles fitted with mountings for arms or equipment for mine laying or the launching of munitions (c) Other ground vehicles manufactured or fitted with materials or components to provide Ballistic protection to level III (NIJ 0108.01, September 1985, or comparable national standard or above) with mountings for arms or equipment for mine laying specially designed for military use.

		Note 1.- For Sl. No. (b) Includes vehicles fitted with mounting for arms or equipment for mine-laying or for launching of bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive charges and related equipment and accessories. **Note 2.-** For Sl. No. (c) Transmission to provide drive to both front and rear wheels simultaneously, Gross Vehicle Weight Rating greater than 4500 kg.
(ii)	Arms and ammunitions and allied items of defence equipment; other than small arms of caliber 12.7 mm and above as defined under clause (51) of sub-rule (I) of rule 2 of the Arms Rules, 2016.	(i) Multi barrel rocket, machine guns, guns, rocket, cannon and missile systems – used on land, ships and shore based and airborne applications. (ii) Howitzers, mortars, anti-tank weapons, projectile launchers, military flame throwers, rifles, recoilless rifles. (iii) Ammunition and fuze setting devices, as follows:- a. safing and arming devices, fuzes, sensors and initiation devices; b. submunitions including bomblets, minelets and terminally guided projectiles. (iv) Bombs, torpedoes, grenades, smoke canisters, rockets, mines, missiles, depth charges, demolition-charges, demolition-devices, demolition kits, aircraft missile protection systems, pyrotechnic devices, cartridges and simulators (i.e. equipment simulating the characteristics of any of these items specially designed for military use). (v) Energetic materials and related substances includes all explosives like primers, boosters, initiators, igniters, detonators, smoke bomb, colour signals, propellants and pyrotechnics, oxidizers, binders, plasticisers, monomers, additive coupling agents, precursors and other related ammunition. (vi) High velocity kinetic energy weapon systems. (vii) Directed Energy Weapon systems, related or countermeasure equipment as follows:- a. laser systems specially designed for, destruction or effecting mission, abort of a target including laser systems with specialized elements and derivatives thereof; b. particle beam systems (not including wavelength less than 1150nm) capable of destruction or effecting mission-abort of a target; c. high power Radio-Frequency systems capable of destruction or effecting mission-abort of target; d. equipment specially designed for the detection or identification of, or defence against, system at (a) and (c) above. **Note 1.-** Sl. No. (i) and (ii) does not apply to weapons for slaughter of animals, seismic testing; projectile launchers of range less than 500 m. **Note 2.-** Sl. No. (iii) does not apply to ammunition crimped without projectile, dummy ammunition (with pierced powder chamber) and cartridge designed for signalling, bird scaring.

[F. No. V-11026/184/2018-Arms]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.14 22:17:11 +05'30'